NOC

संख्या 3319/15-12-83-101471/84

3°

प्रेषक,

श्री [illegible] गौतम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2/19, [illegible] बिहार अन्सारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा (12) अनुभाग लखनऊ दिनांक अगस्त 3, 1983

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केशव देवी कनोरिया विद्या-मन्दिर, रेणुकूट, मिर्जापुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता होने में राज्य सरकार को निम्नांकित शर्तों के अधीन आपत्ति न होगी :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी, प्रतिभाशाली, पिछड़े एवं आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे तथा उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।

3- संस्था को राज्य सरकार से कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

4- संस्था की सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिये अनिवार्य होगा।

6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर [illegible] रखा जायेगा।

Principal
Bhavan's K.D. Kanoria Vidya Mandi
Renuloot- 231217

(ख) विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड सोसाइटी तथा समय समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिये उचित आकार का एक कक्षा-कक्ष, 2 [illegible] विज्ञान कक्षा तथा 1 प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाय तथा उन्हें अशासकीय उ०मा०विद्यालयों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे ।

4- विद्यालय का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

5- इन शर्तों का एक निश्चित समय के भीतर पूरा करके उनका पालन किया [illegible] जाता रहेगा और यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का किसी भी समय उल्लंघन किया जायेगा तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(एस०एन० गौतम)
उप सचिव ।

संख्या 3919(1)/15-12-85-10147(1)/84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर ।
4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
5- चेयरमैन, भारतीय विद्या भवन, केसरी देवी कनोरिया विद्या मंदिर, रेनूकूट, मिर्जापुर ।

आज्ञा से,

(एस०एन० गौतम)
उप सचिव ।

Principal
Bhavan's K.D. Kanoria Vidya Mandir
Renuloot- 231217